न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 42 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. जनाल पुत्र कासम जाति मुसलमान निवासी खुडाणी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.सतबाई पुत्री गुला पत्नी अलीम जाति मुसलमान निवासी खुडाणी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

2.जमियत पुत्र गुला पत्नी आचार का.मु.

2/1तालब पुत्र आचार

2/2जमाल पुत्र आचार

2/3तैयब पुत्र आचार

2/4हैदर पुत्र आचार जाति मुसलमान निवासी सोलंकिया तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

3.नबियत पुत्री गुला पत्नी दिनु

3/1मनु पुत्र दिनु जाति मुसलमान निवासी पांधी का निवाण तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

4.चनेश्चर पुत्र कासम

5.विलाल पुत्र कासम

6.ईशाक पुत्र कासम

7.एलियास पुत्र कासम

8.सफी मोहम्मद पुत्र कासम जाति मुसलमान निवासी आन्तरा तहसील शिव जिला बाड़मेर

9.हकीम पुत्र मुराद जाति मुसलमान निवासी खुडाणी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

10.सिल्ला पुत्र शाकर

11.रसूल पुत्र विलाल

12.ईस्माईल पुत्र निहाल जाति मुसलमान निवासी पांधी का निवाण तहसील सेड़वा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिला बाड़मेर

13.हरीसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत निवासी खेतासर तहसील ओसिया जिला जोधपुर राज.

14.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गडरारोड़

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गडरारोड़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2020 बअनवान सतबाई में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भगवानदास गोयल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री गणपत गुप्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 30.06.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण एवं अपीलांट जलाल के शामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी के खेत मौजा गफन तलाई, पटवार मण्डल राणासर, तहसील गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 1619 रकबा 73.06 बीघा एवं मौजा तुड़बी पटवार मण्डल हरसाणी, तहसील गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 1314 व 1316 रकबा क्रमशः 88 बीघा, 79.02 बीघा के आये हुए है। उक्त खातेदारी खेत वक्त सेटलमेंट गुला, अमीर पिता पांचा, मुराद, कासम पिता समेला जाति मुसलमान के नाम दर्ज हुए। पूर्व खातेदारों की मृत्यु उपरोक्त समय–समय पर उनके वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होते रहे जो जमाबन्दीयों के अवलोकन से स्पष्ट है। पूर्व खातेदार गुला के कोई पुत्र नहीं था, केवल तीन पुत्रियां ही है जिनमें उतरदाता संख्या 01 सतबाई जीवित है जबकि उतरदाता संख्या 02 जमियत एवं उतरदाता संख्या 03 नबियत फौत होने से इनके कायम मुकाम उतरदातागण संख्या 2/1 से 2/4 एवं 3/1 के रूप में पक्षकार है। विवादित खेतो के खातेदार उतरदाता संख्या 01 के पिता गुला के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 665 इस नोट के आधार पर पारित किया गया कि खातेदार गुला के फौत होने पर जलाल के नाम परिवर्तन करने हेतु जबकि जलाल कासम का पुत्र है इसकी पुष्टि जलाल के नाम से जारी जॉब कार्ड, वोटर लिस्ट व राशन कार्ड में होती हैं। इसमें यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट जलाल का नाम विवादित खेतो की खातेदारी से हटाते हुए जलाल की जगह उतरदातागण संख्या 01 से 03 को खातेदार घोषित किया जावे। अपीलांट संख्या 01 द्वारा विवादित खेतों में गलत रूप से खातेदारी में दर्ज नाम का फायदा

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उठा कर उतरदातागण को विवादित खेतो से बेदखल करने एवं उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान करने की धमकिया दी गई तब उतरदातागण द्वारा विवादित खेतो के राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो अपीलाधीन निर्णय की गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि निर्णय दिनांक 01.07.2021 की आदेशिका में अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति बताई गई है जब अपीलांट संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित थे तो अधीनस्थ न्यायालय को दोनो पक्षों की अनुपस्थिति में वाद को अदम पैरवी में खारिज करना चाहिए था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को मेरीट पर निर्णित नहीं किया है जो निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध पारित किया गया। उपरोक्त निर्णय व डिक्री को पारित करने से पूर्व अपीलांट जलाल को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई सुनवाई का उचित अवसर ही प्रदान किया गया और न ही अपीलांट की तरफ से गवाहन भी लिये गये और न ही अपीलांट की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेज भी प्रदर्शित ही करवाये गये। कानूनी प्रक्रिया को ताक में रख कर विवादित निर्णय एवं डिक्री पारित की है। दिनांक 20.04.2021 में बहस सूनी गई वास्ते अग्रिम कार्यवाही मे दिनांक 27.04.2021 को पत्रावली पेश हो जबकि दिनांक 27.04.2021 से नियमित दिनांक 05.07.2021 तक लॉ एण्ड ऑर्डर रेवेन्यू बोर्ड अजमेर की वजह कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हो सकता था जबकि उक्त अवधि को दरकिनार कर पारित अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। माननीय रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के परिपत्र क्रमाक राम/न्याय/स्था/प–76/2010/3578 दिनांक 10.06.2021 के क्रमांक 03 में साफ साफ उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रकरण में एक्स पार्टी/डी.डी. एवं पक्षकार अथवा अभिभाषकगण की अनुपस्थिति में आदेश पारित नहीं किया जावें। किसी भी पक्षकार/अधिवक्ता की अनुपस्थिति में एक्स पार्टी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है उसी क्रम में दिनांक 30.06.2021 के आदेश में दिनांक 05.07.2021 तक प्रभावी का उल्लेख किया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय नजर अंदाज कर अपीलाधीन आदेश/निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि पूर्व खातेदार गुला के कोई पुत्र नहीं था, केवल तीन पुत्रियां ही है जिनमें उतरदाता संख्या 01 सतबाई जीवित है जबकि उतरदाता संख्या 02 जमियत एवं उतरदाता संख्या 03 नबियत फौत होने से इनके कायम मुकाम उतरदातागण संख्या 2/1 से 2/4 एवं 3/1 के रूप में पक्षकार है। विवादित खेतो के खातेदार उतरदाता संख्या 01 के पिता गुला के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 665 इस नोट के आधार पर पारित किया गया कि खातेदार गुला के फौत होने पर जलाल के नाम परिवर्तन करने हेतु जबकि जलाल कासम का पुत्र है इसकी पुष्टि जलाल के नाम से जारी जॉब कार्ड, वोटर लिस्ट व राशन कार्ड में होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद को दर्ज किया गया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी किये गये। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबावदावा पेश किया गया। दोनों पक्षों के गवाह पेश हुए तथा बाद समुचित सुनवाई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील रेस्पोडेंटस को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आराजी पैतृक है। जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार है। वादीगण गुला वल्द पांचा के मूल वारिस है और इन्हे उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। गुला वल्द पांचा की समस्त पैतृक एवं स्वअर्जित सम्पत्ति पर प्रथम वादीगण का ही हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का जबावदावा, साक्ष्य सबूत के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तनकीवार पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में दिनांक 20.04.2021 को उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के उपस्थिति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट पेम-केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए है। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। मेरी सुविचारित राय में अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट गैरहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गडरारोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2020 बजनवान सतवाई में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2021 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर